संरक्षण में निहित विकास के मार्ग पर...

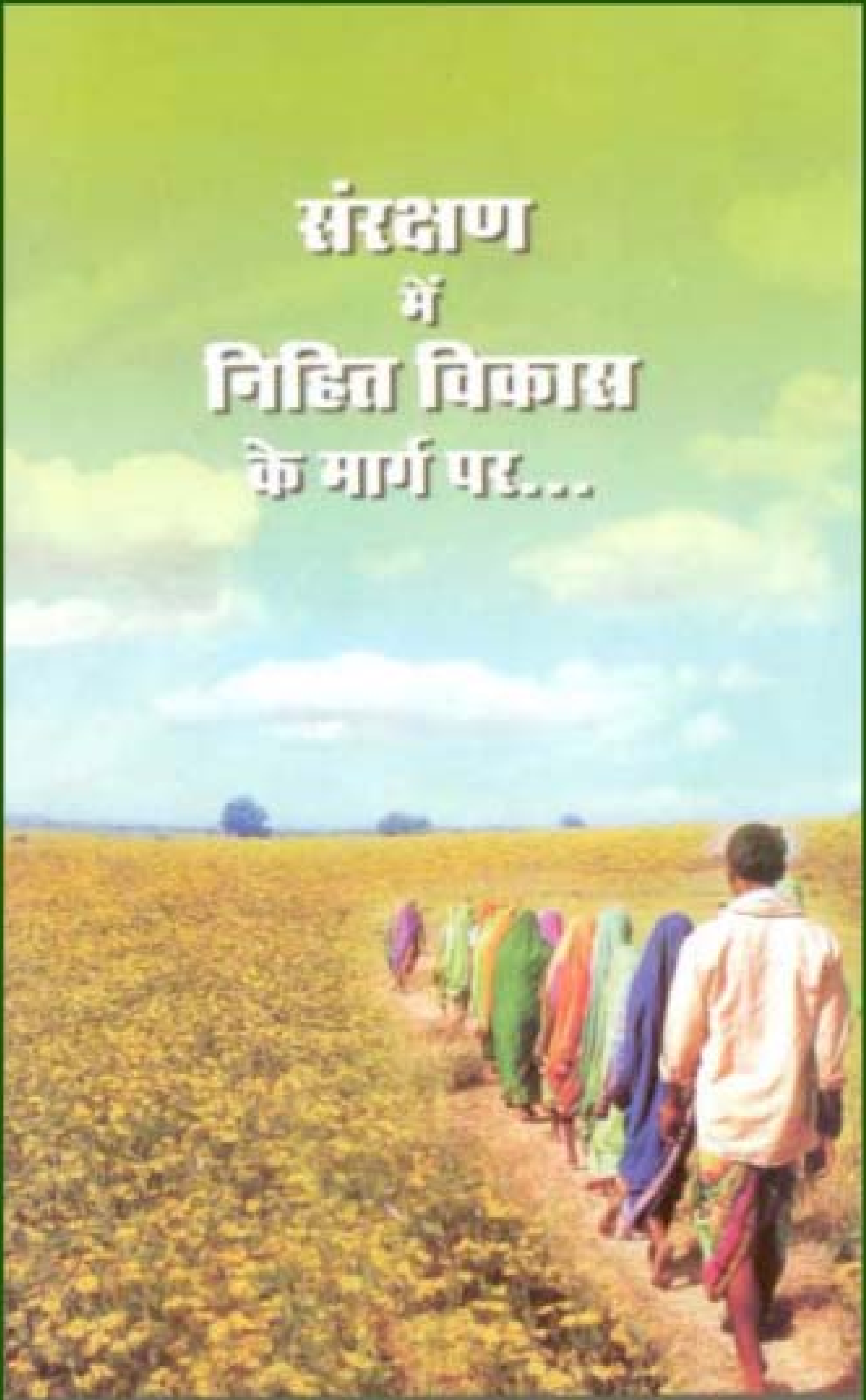

मध्य प्रदेश
राज्य जैव विविधता बोर्ड

जैविक सम्पदा से सम्पन्न देश के दो अति महत्वपूर्ण क्षेत्र पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व के मध्य में स्थित मध्यप्रदेश जैविक सम्पदा के खज़ाने से समृद्ध है। प्रदेश में इलाकों (इको सिस्टम) की अच्छी खासी विविधता है, बीहड़, पठार, शिखर, नदी घाटी, समतल सभी तरह के इलाके हैं। चार प्रमुख प्रकार के वनों, 9 राष्ट्रीय उद्यानों, 25 वन्यप्राणी अभ्यारण्यों सहित यह बाघ प्रदेश वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं की विविधता से सम्पन्न है। लगभग 5000 प्रजातियों के पौधों, 500 प्रजातियों के पक्षियों का बसेरा होने के अतिरिक्त यहां के जलाशयों में लगभग 180 प्रजातियों की मछलियां भी पाई जाती हैं। यही नहीं, यहां के खेतों में पैदा की जाने वाली सैकड़ों तरह की धान की किस्में और कई तरह के मोटे अनाज भी विद्यमान हैं। देशज पशु और कड़कनाथ जैसी विशेष प्रजाति के मुर्गे सब मिला कर कृषि-जैव विविधता की सम्पन्नता को दर्शाते हैं। विशेष रीति रिवाजों, जीवन शैली, और वैविध्यपूर्ण संस्कृति को संजोए हुए कई जनजाति समूह यहां बसते हैं। जैविक सम्पदा की यही विविधता आजीविका को ठोस आधार देते हुए आबादी के एक बड़े हिस्से को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराती है।

लगभग 1000 से अधिक औषधीय पौधों से जुड़ा पारम्परिक ज्ञान ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करता है। यहां की परम्पराएं, रीति रिवाज, त्यौहार और पारम्परिक ज्ञान जैविक सम्पदा की निरंतरता एवं संरक्षण को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करते हैं। राज्य की समृद्ध जैव विविधता आजीविका को समृद्ध करने, जैव प्रौद्योगिकी के विकास, खाद्यान्न और आजीविका को मजबूत करने के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करने की क्षमता रखती है।

साझा नजरिया

"प्रदेश की प्रचुर जैव विविधता के संरक्षण, इसके संवहनीय उपयोग तथा प्राप्त होने वाले लाभों के समुचित बंटवारे पर आधारित ऐसा विकास, जो लोगों को सशक्त कर सके।" इस नजरिये को राज्य के 6 करोड़ लोगों से बांटते हुए एक साझा दृष्टि विकसित करना होगी। इसे करने के लिए मिलजुल कर काम करने की एक मजबूत संस्कृति का विकास आवश्यक होगा, जिसमें सहभागी होंगे: शासकीय एजेंसियां, गैर शासकीय संगठन, स्थानीय समुदाय, जन प्रतिनिधि, शैक्षणिक एवं शोध संस्थाएं, मीडिया आदि। मध्यप्रदेश जैव विविधता बोर्ड अपनी भूमिका इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता है।

जैव विविधता बोर्ड

बोर्ड की प्रमुख भूमिका जैव विविधता संरक्षण, जैविक सम्पदा के संवहनीय उपयोग एवं जैविक स्रोतों से उपलब्ध लाभों के न्यायपूर्ण और बराबरी की साझीदारी के लिए सभी सहयोगियों के साथ सामंजस्य बनाने में है। जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत निगमित निकाय के रूप में बोर्ड निम्नलिखित कार्य सम्पादित करेगा :-

- जैविक स्रोतों के व्यावसायिक उपयोग पर नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- जैव विविधता और उससे जुड़ी लोगों की जानकारी के दस्तावेजीकरण (लोक जैव विविधता पंजी) के माध्यम से जैव संसाधनों से सम्बद्ध सूचना तंत्र विकसित करवाना तथा यह भी सुनिश्चित करना कि लोगों के परम्परागत ज्ञान की पर्याप्त सुरक्षा भी हो।
- जैव विविधता प्रबंध समितियों, स्वैच्छिक संस्थाओं स्कूलों / कालेजों एवं अन्य इकाइयों सहित सभी सहभागियों की जागरूकता एवं क्षमता वृद्धि में सहयोग करना।
- विभिन्न एजेंसियों की नीतियों और योजनाओं में जैव विविधता के प्रति सरोकार तथा जैव विविधता पर आधारित आजीविका को प्रोत्साहित करना।
- जैव विविधता संरक्षण के अन्तःस्थलीय (In-Situ) एवं बाह्य-स्थलीय (Ex-Situ) प्रयासों को मजबूत करने एवं जैव विविधता बहुल विरासत स्थलों की स्थापना में मदद करना।
- जैव विविधता संरक्षण से जुड़े मसलों पर राज्य शासन को सलाह देना।

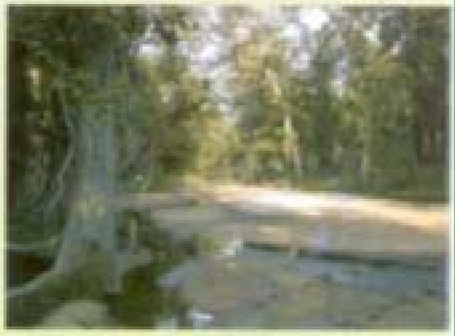

जैव विविधता प्रबन्धन समितियां

ये समितियां जैव विविधता संरक्षण की गतिविधियों को संचालित करने के लिए गठित की गई स्थानीय प्रतिनिधि संस्थाएं हैं। स्थानीय निकाय जैसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभाएं तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम जैव विविधता प्रबन्ध समितियां गठित करेंगे। स्थानीय निकाय चाहें तो अपनी वर्तमान समितियों में से किसी एक समिति या सामान्य सभा को यह दायित्व सौंप सकते हैं। इस समिति के कार्य इस तरह होंगे :-

- जैव विविधता तथा उससे संबंधित ज्ञान का दस्तावेज तैयार करना तथा उसकी पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए प्राप्त की जाने वाली जैविक सम्पदा पर बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शुल्क लगाना।
- संरक्षण सुनिश्चित करते हुए तथा जैविक सम्पदा को कायम रखते हुए दोहन और उससे प्राप्त लाभों का बराबरी से बंटवारा सुनिश्चित करना।
- स्थानीय योजना में जैव विविधता के सरोकारों को एकीकृत करना।

लोक जैव विविधता दस्तावेज

स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध जैव विविधता को चिन्हित करने के लिए लोक जैव विविधता दस्तावेज तैयार करना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस दस्तावेज को तैयार करने में शासकीय निकायों, स्वैच्छिक संस्थाओं, शिक्षाविदों तथा ग्रामीण समुदाय की भागीदारी सहायक होगी। यह दस्तावेज बौद्धिक सम्पदा संरक्षण से जुड़े मसलों में न केवल उपयोगी होंगे, बल्कि इनमें एकत्रित जानकारी का उपयोग करके स्थानीय निकायों द्वारा संरक्षण आधारित विकास की योजना बनाने और लागू करने में सहायक होंगे।

राज्य जैव विविधता सूचना प्रणाली

मध्यप्रदेश में जैव विविधता से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड में राज्य जैव विविधता सूचना प्रणाली का प्रावधान किया गया है। लोक जैव विविधता पंजी एवं कई सहभागियों के साथ मिल कर विकसित की जाने वाली यह सूचना प्रणाली जैविक सम्पदा की जानकारी आसानी से उपलब्ध करा सकेगी। सूचना प्रणाली में जैव संसाधनों से जुड़े परम्परागत ज्ञान की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

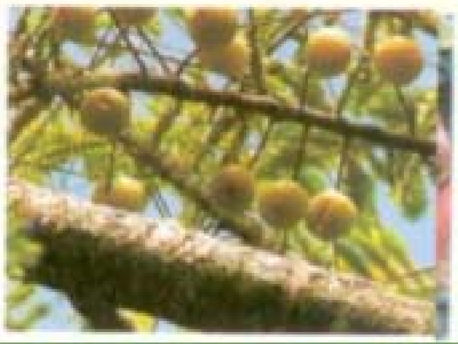

जागरूकता, शिक्षा एवं प्रशिक्षण

जैव विविधता के मसलों पर व्यापक जन जागृति का काम बोर्ड की प्राथमिकता में है। सहभागिता पर आधारित जागरूकता अभियान में, यात्राएं, बैठकें, कार्यशालाएं, नेचर कैम्प, भ्रमण, पोस्टर प्रदर्शनी, मीडिया अभियान आदि प्रमुख हैं। संरक्षण के मूल्यों को युवा पीढ़ी में विकसित करने के लिए स्कूल एवं कालेज के औपचारिक / अनौपचारिक पाठ्यक्रम में जैव विविधता आधारित गतिविधियों का समावेश एक प्रमुख रणनीति है। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जैव विविधता सम्बन्धी मुद्दों को समाहित कराने में बोर्ड की भूमिका है।

जैव विविधता आधारित आजीविका

प्रदेश की सम्पन्न जैविक सम्पदा में लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने की बहुत सम्भावनाएं हैं। कई सहभागियों के साथ मिल कर इन सम्भावनाओं को साकार कराने में बोर्ड की भूमिका रहेगी। जैव संसाधनों का आंकलन, उन्नत तकनीक के माध्यम से उनका संरक्षण, संवहनीय दोहन एवं प्रसंस्करण, बाजार व्यवस्था से सम्बन्ध एवं समुदाय की क्षमता वृद्धि आदि इन प्रयासों के प्रमुख घटक हैं।

विकास के नए आयाम

प्रदेश की सम्पन्न जैव विविधता एवं इससे सम्बद्ध लोक ज्ञान की आजीविका समृद्धिकरण में एक अहम भूमिका देखी जा रही है। जैव विविधता की यह प्रचुरता किस प्रकार संवहनीय आजीविका का आधार बनते हुए, जैव संसाधनों के संरक्षण, उनके सही उपयोग और उनसे प्राप्त लाभों के समुचित बंटवारे को बढ़ावा दे सके- यह एक बड़ी चुनौती है, जो बोर्ड एवं सहयोगी एजेंसियों को लगातार दिशा प्रदान करेगी।

संरक्षण में निहित विकास के सफर में आप जैसे साथियों की जरूरत है, ताकि हम अपने राज्य के प्रचुर जैव संसाधनों और उससे जुड़े ज्ञान का उपयोग कर अपने और आने वाली पीढ़ियों के हितों की सुरक्षा कर सकें।

मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड
तृतीय तल बीज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल-462007
Phone: (0755) 2554539/49, 2764911 Fax: (0755) 2764912
e-mail: mpsbbbhopal@eth.net
website: www.mpsbb.org ; mpbiotech.gov.in